राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2153/2016 नरेश सिंह	1.राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय लाल कोठी, जयपुर। 2.पुलिस सर्तकता महानिरीक्षक (मुख्यालय) एवं अध्यक्ष चयन समिति, पुलिस मुख्यालय, जयपुर। 3.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जयपुर।	12.07.2016	श्री एस.पी. माथुर, अभिभाषक अपीलार्थी
2.	2164/2016 बाबूलाल		14.07.2016	श्री एस.पी. माथुर, अभिभाषक अपीलार्थी

आदेश की दिनांक : 26.11.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2164/2016 बाबूलाल बनाम पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी शुरू में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था और 22.09.1989 को कार्यभार ग्रहण किया था। अपीलार्थी वरिष्ठ है और उसने हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए लिखित, आउट डोर टेस्ट और साक्षात्कार की परीक्षाएं समय–समय पर उत्तीर्ण की हैं, जब प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2008 में और उसके बाद संभवतः वर्ष 2009, 2014, 2015 में परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, लेकिन अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा में दिए गए अंकों के बारे में नहीं बताया गया और अपीलार्थी को स्मरण है कि उसने पदोन्नति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन पदोन्नत नहीं हुआ था। इसी प्रकार अपीलार्थी ने भी सामान्य श्रेणी के रूप में हेड कांस्टेबल के पदोन्नति पद के लिए वर्ष 2015–16 की अर्हता परीक्षा में भाग लिया था, जिसके लिए 18 रिक्तियां भरी जानी थीं। अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पदोन्नति पद हेतु चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा दिनांक 13–6–2016 को आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए कुल 83 अभ्यर्थियों में से क्रम संख्या 5 पर दर्शाया गया है तथा संबंधित अभ्यर्थियों के नाम कांस्टेबल की वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रत्येक को

नहीं बताए गए और न ही प्रत्येक अभ्यर्थी के परीक्षा में एक दूसरे के अंक जानने के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाए गए। पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) एवं अध्यक्ष चयन बोर्ड, मुख्यालय जयपुर (प्रतिनिधित्व संख्या 2) के पत्र संख्या 335–337 दिनांक 10–6–2016 के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जयपुर (प्रतिनिधित्व संख्या 3) द्वारा दिनांक 13–6–2016 आदेश जारी किया गया। (अनुलग्नक–1) इसके बाद दो प्राधिकारियों (पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक) ने अपीलार्थी और अन्य अभ्यर्थियों की बाहर जांच कराई थी। न तो आउट डोर टेस्ट के दौरान और न ही उसके पूरा होने के बाद किसी भी समय अपीलार्थी को आउट डोर टेस्ट के लिए निर्धारित कुल अंकों या प्रत्येक प्रदर्शन (श्रेणी/व्यक्तिगत आउट डोर टेस्ट के अनुसार) के बारे में अवगत कराया गया था और न ही अपीलार्थी को मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन में अपीलार्थी को दिए गए अंकों के बारे में बताया गया था, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से पूरे आउट डोर टेस्ट में या प्रत्येक उम्मीदवार की अपीलार्थी को प्रत्येक प्रदर्शन में उसके द्वारा प्राप्त अंक या उसे दिए गए कुल अंकों के बारे में भी मौखिक या लिखित रूप से अपीलार्थी और अन्य को नहीं बताया गया और न ही प्रत्येक आउटडोर प्रदर्शन परीक्षण के बाद ऐसे आउटडोर परीक्षण में अंकों के आवंटन में कोई गलती बताई गई। अपीलकर्ता पदोन्नति आदेश दिनांक 30–6–2016 में शामिल किए जाने का हकदार है, जिसका नाम क्रम संख्या 4 श्री सुरेंद्र सिंह है, वरिष्ठता और वेतन निर्धारण आदि की सेवा के सभी परिणामी लाभों के साथ। अपीलार्थी को लिखित परीक्षा, आउट डोर टेस्ट, साक्षात्कार की सभी अर्हक परीक्षाओं में दिए गए अंकों के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है, तो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद के लिए जूनियर व्यक्तियों की संख्या (क्रमांक 4 से आगे) के संबंध में पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाए जाने के कारण के बारे में बताने की क्या बात की जाए। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरोक्त आदेशों दिनांक 13–6–2016 के अवलोकन से अपीलार्थी का नाम अपीलार्थी की वरिष्ठता के अनुसार क्रम संख्या 5 पर है और लिखित परीक्षा में अपीलार्थी के नाम से नीचे रहने वाले कनिष्ठ उम्मीदवारों की संख्या को आदेश दिनांक 30–6–2016 द्वारा पदोन्नति दी गई है, अर्थात सुरेन्द्र सिंह को क्रम संख्या 4 से नीचे क्रम संख्या 19 तक सामान्य श्रेणी में एक आरक्षित अभ्यर्थी को छोड़कर क्रमांक 15 पर एक अभ्यर्थी को स्थान मिला। उपर्युक्त तथ्यों में कई जूनियर उम्मीदवार (15) अपीलकर्ता से आगे निकल गए हैं, हालांकि सभी 18 सामान्य उम्मीदवारों को भरने का तरीका वरिष्ठता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर था। चयन सूची में अपीलकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी की लिखित परीक्षा, आउट डोर परीक्षा और साक्षात्कार सहित अर्हता परीक्षा का पूरा रिकार्ड और अन्य सभी चयनित जूनियर उम्मीदवारों के संपूर्ण चयन की पूरी नोटशीट के साथ तलब किया जावे एवं निष्पक्षता स्थापित करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने अंक निर्धारित और आवंटित किए गए, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन किया जावे। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30–6–2016 के तहत जारी की गई अनुमोदित सूची में कनिष्ठ उम्मीदवार श्री सुरेन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल के क्रम संख्या 4 से ऊपर शामिल न करना प्रत्यर्थी द्वारा मनमाना घोषित किया जाने योग्य है या वैकल्पिक रूप से दिनांक 30–6–2016 के आदेश को दिनांक 30–6–2016 की चयन सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल न करने की सीमा तक अपास्त किया जाकर और दिनांक 30–6–2016 के आदेश पर वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थी का नाम परिणामी लाभों के साथ शामिल करने के लिए निष्पक्ष रूप से पुनर्विचार किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27(1) एवं 27(2) के अनुसार योग्यात्मक परीक्षा से पदोन्नति हेतु चयन प्रकिया में दो चरण (प्रथम भाग– लिखित परीक्षा तथा परेड, प्रेक्टिकल एवं अन्य आउटडोर परीक्षा) एवं (द्वितीय भाग– रिकार्ड एवं इन्टरव्यू) है। कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र घोषित अभ्यार्थियो को चयन बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से आयोजित परीक्षाओं को क्यालीफाई करने के लिए प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत (40) अंक) परेड, प्रेक्टिकल एवं अन्य आउटडोर परीक्षा में 40 प्रतिशत (40 अंक) तथा दोनो को मिलाकर 45 प्रतिशत यानि (90 अंक) अर्जित करना अनिवार्य है। प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यार्थियो में से वरिष्ठतानुसार रिक्त पदो के अनुरूप नियमानुसार अभ्यार्थियो को द्वितीय चरण में क्वालीफाई करने के लिए अपने सेवा रिकार्ड, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवेदन तथा साक्षात्कार में 45 प्रतिशत (33.75 अंक) अर्जित करना अनिवार्य है। द्वितीय भाग में सफल घोषित अभ्यार्थियो में से जिन अभ्यार्थियो ने प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर कुल पूर्णाक 275 अंक का 50 प्रतिशत (137.50 अंक) अर्जित किये है, उनमें से वर्गवार विज्ञापित रिक्त पदो की संख्या के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर आवेदको को चयन सूची पर लिया जाता है। इस प्रकार राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 के अनुसार प्रथम चरण में सफल अभ्यार्थियो में से रिक्त पदो के अनुरूप नियमानुसार अभ्यार्थियो को द्वितीय चरण में सम्मिलित होने हेतु परिणाम घोषित किया जाता है एवं आगामी द्वितीय चरण की परीक्षा में प्राप्त समग्र अंको के आधार पर रिक्त पदो के अनुरूप वर्गवार योग्य अभ्यार्थियो

का चयन किया जाकर परिणाम घोषित किया जाता है। जिला जयपुर (ग्रामीण) द्वारा 2015–16 में कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल के पदो को पदौन्नति से भरे जाने वाले 19 रिक्त पदो की पूर्ति हेतु योग्यात्मक परीक्षा 2015–16 आयोजित की गई। उक्त परीक्षा में अपीलार्थी भी सम्मिलित हुआ। उक्त योग्यात्मक परीक्षा के प्रथम चरण में अपीलार्थी के उत्तीर्ण होने पर आदेश दिनांक 13.06.2016 में अपीलार्थी को भी अगले द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (2) के अनुसार अपीलार्थी प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की दोनो परीक्षा के कुल अंको का 50 प्रतिशत यानि (137.50 अंक) समग्र रूप से प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियो में से रिक्त पदो के अनुरूप वर्गवार 18 सामान्य एवं 01 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो को हैड कानिस्टेबल पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यकम हेतु आदेश दिनांक 30.06.2016 के माध्यम से कुल 19 अभ्यार्थियो को चयन सूची पर लिया गया है। चयन बोर्ड द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ उन्हीं अभ्यार्थियो को चयन सूची पर लिया गया है जिन्होनें दोनो चरणो की परीक्षा में समग्र रूप से कुल अंको का 50 प्रतिशत यानि (137. 50 अंक) समग्र रूप से अर्जित किये है। अपीलार्थी द्वारा दोनो चरणो की परीक्षाओं में कुल अंको का 50 प्रतिशत यानि (137.50 अंक) समग्र रूप से अर्जित नहीं किये जाने के कारण ही चयन सूची पर नहीं लिया गया है। अपीलार्थी का यह कथन कि– उससे कनिष्ठ कानिस्टेबलो को चयन सूची पर लिया गया है, गलत है क्योंकि अपीलार्थी से कनिष्ठ उन्हीं कानिस्टेंबलो को चयन सूची पर लिया गया है जिन्होनें दोनो चरणो की परीक्षाओं में कुल अंको का 50 प्रतिशत यानि (137.50 अंक) अथवा इससे अधिक अंक अर्जित किये है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2 164/2016 बाबूलाल बनाम पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य